न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 98/2022 वाद
GCMS No. – 2022/231

श्री भवानीराम पिता प्यारचन्द जाति कुलमी पाटीदार, उम्र 80 वर्ष, निवासी अरनोदा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

–वादी

//बनाम//

1. श्री हुक्मीचन्द पिता भैरूलाल जाति पाटीदार, आयु वयस्क निवासी अरनोदा तहसील निम्बाहेड़ा।
2. श्री भगतराम पिता हुक्मीचन्द जाति पाटीदार, आयु वयस्क निवासी अरनोदा तहसील निम्बाहेड़ा।
3. श्री राधेश्याम पिता हुक्मीचन्द जाति पाटीदार, आयु वयस्क निवासी अरनोदा तहसील निम्बाहेड़ा।
4. श्री ओमप्रकाश पिता हुक्मीचन्द जाति पाटीदार, आयु वयस्क निवासी अरनोदा तहसील निम्बाहेड़ा।
5. श्री परसराम पिता भगतराम जाति पाटीदार, आयु वयस्क निवासी अरनोदा तहसील निम्बाहेड़ा (नाम विलोपित)।
6. श्री भूपेन्द्र पिता भगतराम जाति पाटीदार, आयु वयस्क निवासी अरनोदा तहसील निम्बाहेड़ा (नाम विलोपित)।
7. श्री रोशन पिता राधेश्याम जाति पाटीदार, आयु वयस्क निवासी अरनोदा तहसील निम्बाहेड़ा (नाम विलोपित)।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :– 1– श्री हस्तीमल सेठिया – अधिवक्ता वादी
2– श्री ज्ञानचन्द्र धाकड़ – अधिवक्ता प्रतिवादी नं0 1 से 4

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:15:10 IST
Reason: SelfAttested

:: निर्णय :: दिनांक :– 14.08.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम अरनोदा तहसील निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 642 में दर्ज आराजी संख्या 1800 रकबा 2.0700 हैक्टेयर लगानी 10.35 रूपये स्थित है।

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

2. उपरोक्त विवादित आराजी नम्बर 1800 में वादी का 3/4 व प्रतिवादी नम्बर 8 का 1/4 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजियात में वादी का 3/4 हक हिस्सा विवादित हैं। जिसके लिए यह वाद पेश किया गया है। प्रतिवादीगण नं0 1 से 7 का विवादित आराजियात से कोई भी संबंध सरोकार नहीं है। फिर भी प्रतिवादी की नियत में बदयन्ती पैदा हो गयी और वे विवादित आराजियात पर कब्जा करने की नियत से आये दिन विवाद करते है और वादी के हिस्से पर वादी द्वारा काश्त करने पर मरने मारने की धमकियां देते है और वादी के समझाने के बाद भी मानने से इन्कार करते है इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वे वाद पत्र के चरण संख्या 1 में वर्णित आराजियात संख्या 1800 रकबा 2.0700 हैक्टेयर मौजा अरनोदा तहसील निम्बाहेड़ा में वादी के 3/4 हिस्से पर वादी को काश्त करने में कोई रूकावट पैदा नहीं करें व न करावें और वादी को हांकने जोतने व फसल बोने में कोई झगड़ा या रूकावट न करें न करावें।

3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। वकील वादी ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी नं 5, 6, 7 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते है इसलिए प्रतिवादी नं0 5, 6, 7 का नाम वाद पत्र से विलोपित किया जावें। वादी का उक्त आशय का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तथा वाद पत्र से प्रतिवादी नम्बर 5, 6, 7 के नाम विलोपित किये जाने के आदेश दिये गये। वादी मय अधिवक्ता एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ,2, 3, 4 मय अधिवक्ता उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया तथा राजीनामा अनुसार वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। राजीनामा तस्दीक कर शामिल पत्रावली किया गया।

4. बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने ग्राम अरनोदा पटवार हल्का अरनोदा की नकल जमाबन्दी संवत् 2077–80 की खाता संख्या 686 की आराजी नम्बर 1800 रकबा 2.0700 हैक्टेयर की पेश की है जिसमें वादी भुवानीराम पुत्र प्यारचन्द कुलमी का 3/4 हक हिस्सा निहित है तथा हीरालाल पिता नारायण कुलमी का 1/4 हक हिस्सा निहित है। वादी मय अधिवक्ता श्री हस्तीमल सेठिया एवं प्रतिवादी नं0 2, 3, 4 मय अधिवक्ता श्री ज्ञानचन्द्र धाकड़ एवं प्रतिवादी [illegible] जरिये अधिवक्ता ज्ञानचन्द्र धाकड़ ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया तथा राजीनामा अनुसार वादी का वाद डिक्री किये जाने का [illegible] किया तथा [illegible] राजीनामा में अंकित किया की प्रतिवादीगण ने यह स्वीकार किया है कि [illegible] तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 642 में दर्ज आराजी संख्या 1800 रकबा 2.0700 हैक्टेयर में वादी का 3/4 हक हिस्सा निहित है तथा 1/4 हिस्सा स्व0 हीरालाल के वारिसान का है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:15:10 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा-जिला चित्तौड़

सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा

विवादित आराजियात से प्रतिवादीगण को कोई भी संबंध व सरोकार नहीं है तथा विवादित आराजियात में दर्ज वादी का 3/4 हक हिस्सा वादी के खातेदारी कब्जे काश्त में है। प्रतिवादीगण वादी के हिस्से में कभी भी दखलअन्दाजी नहीं करेंगे ना ही कब्जा करेंगे। वादी के हिस्से की आराजी के नीचे जमीन में प्रतिवादीगण की आराजियात पर पिलाई हेतु नीचे पाईप गढ़े हुए है जिसे वादी बरकरार रखेगा और पाईप में कभी भी लीकेज या खराबी हुई तो उसे प्रतिवादीगण मरम्मत करायेगा। उक्त आशय की वादी के पक्ष में डिक्री पारित की जावें। वादी का वाद राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

5. अतः वाद वादी राजीनामा अनुसार कतई डिक्री किया जाता है। प्रतिवादी नम्बर 1 से 4 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मौजा अरनोदा पटवार हल्का अरनोदा तहसील निम्बाहेड़ा की नवीन खाता संख्या 686 (पुराना खाता संख्या 642) की आराजी नम्बर 1800 रकबा 2.0700 हैक्टेयर में वादी भुवानीराम के नाम खातेदारी में दर्ज 3/4 हक हिस्से में दखलअन्दाजी नहीं करेंगे ना ही कब्जा करेंगे। वादी के हिस्से की आराजी के नीचे जमीन में प्रतिवादीगण की आराजियात पर पिलाई हेतु नीचे पाईप गढ़े हुए है जिसे वादी बरकरार रखेगा और पाईप में कभी भी कोई लीकेज या खराबी हुई तो उसे प्रतिवादीगण मरम्मत करायेगा। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा–जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

14/8/23
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

रमेश सीरवी पुनाड़िया
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:15:10 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 98/2022 वाद
GCMS No. – 2022/231

श्री भवानीराम पिता प्यारचन्द जाति कुलमी पाटीदार, उम्र 80 वर्ष, निवासी अरनोदा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 –वादी

//बनाम//

1. श्री हुक्मीचन्द पिता भैरूलाल जाति पाटीदार, आयु वयस्क निवासी अरनोदा तहसील निम्बाहेड़ा।
2. श्री भगतराम पिता हुक्मीचन्द जाति पाटीदार, आयु वयस्क निवासी अरनोदा तहसील निम्बाहेड़ा।
3. श्री राधेश्याम पिता हुक्मीचन्द जाति पाटीदार, आयु वयस्क निवासी अरनोदा तहसील निम्बाहेड़ा।
4. श्री ओमप्रकाश पिता हुक्मीचन्द जाति पाटीदार, आयु वयस्क निवासी अरनोदा तहसील निम्बाहेड़ा।
5. श्री परसराम पिता भगतराम जाति पाटीदार, आयु वयस्क निवासी अरनोदा तहसील निम्बाहेड़ा (नाम विलोपित)।
6. श्री भूपेन्द्र पिता भगतराम जाति पाटीदार, आयु वयस्क निवासी अरनोदा तहसील निम्बाहेड़ा (नाम विलोपित)।
7. श्री रोशन पिता राधेश्याम जाति पाटीदार, आयु वयस्क निवासी अरनोदा तहसील निम्बाहेड़ा (नाम विलोपित)। –प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

प्रकरण में आज दिनांक को वादी के अधिवक्ता श्री हस्तीमल सेठिया एवं प्रतिवादी नम्बर 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री ज्ञानचन्द्र धाकड़ की उपस्थित में पत्रावली अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है कि वाद वादी राजीनाम अनुसार कतई डिक्री किया जाता है। प्रतिवादी नम्बर 1 से 4 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मौजा अरनोदा पटवार हल्का अरनोदा तहसील निम्बाहेड़ा की नवीन खाता संख्या 686 (पुराना खाता संख्या 642) की आराजी नम्बर 1800 रकबा 2.0700 हैक्टेयर में वादी भुवानीराम के नाम खातेदारी में दर्ज 3/4 हक हिस्से में दखलअन्दाजी नहीं करेंगे ना ही कब्जा करेंगे। वादी के हिस्से की आराजी के नीचे जमीन मे प्रतिवादीगण की आराजियात पर [illegible] पाईप गढ़े हुए है जिसे वादी बरकरार रखेगा और पाईप में कभी भी कोई लीकेज या खराबी हुई तो उसे प्रतिवाादीगण मरम्मत करायेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2023.09.14 17:15:10 IST
Reason: SelfAttested

यह आज दिनांक 14.08.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा